समावेशी शिक्षा
(Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा को समेकित शिक्षा के नाम से भी पुकारा जाता हैं। प्रायः समावेशी शिक्षा से तात्पर्य दिव्यांग बच्चों को सीखने-सीखाने की प्रक्रिया हेतु उपयुक्त माहौल प्रदान करके उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने से लगाया जाता है। सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने व उनके सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान करने के लिए भ्रमणशील अध्यापकों (Itineret Teachers) की सहायता ली जाती है। वस्तुतः विकलांगता से ग्रस्त बच्चों को अलग स्कूलों में शिक्षा देने अथवा सामान्य स्कूलों में अन्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रश्न काफी लम्बे समय से ऐतिहासिक बहस का प्रश्न बना रहता है। सम्भवतः दिव्यांग बच्चों की अलग शिक्षा संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने, उनके साथ समानता का व्यवहार करने के लिए संघर्ष करने, तथा उनके समाज, रोजगार व शिक्षा में एकीकरण को प्रोत्साहित करने की मांग के साथ यह विवाद प्रारम्भ हुआ है। यद्यपि कुछ परम्परागत सोच वाले व्यक्ति दिव्यांग बच्चों के द्वारा सामान्य कक्षाओं में अनुकूलतम गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने के प्रति संशकित रहते हैं फिर भी एक बड़ा वर्ग दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। इस वर्ग का मानना है कि मानव विभेद नैसर्गिक है तथा ये विभेद प्रत्येक समाज को समृद्ध बनाते हैं, इसलिए इन विभेदों का परिलक्षण स्कूलों में भी होना चाहिए। विविध प्रकार की कार्यविधियों तथा वैयक्तिक अभिक्रियाओं के माध्यम से स्कूलों को सभी बच्चों को प्रतिभाग व साझेदारी के अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। स्कूली प्रणाली का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व निर्णायक पक्ष प्रत्येक छात्र का उसकी क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलतम शिक्षा सुलभ कराने की रणनीति तैयार करना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कक्षागत शैक्षणिक नियोजन का सर्वाधिक प्रमुख पक्ष कक्षा के समस्त क्रियाकलापों में प्रत्येक छात्र की भागीदारी व प्रतिभाग को सुनिश्चित करना है। यही कारण है कि समेकित शिक्षा को सम्पूर्ण स्कूल विकास से अलग रूप में नहीं देखा जा सकता है। वस्तुतः समावेशी शिक्षा को अलग से कोई मुद्दा न मानकर सम्पूर्ण विद्यालय प्रणाली के विकास का एक समन्वित प्रयास माना जाना चाहिए। परन्तु

(ix) व्यक्तियों के बीच विद्यमान विभेदों को पहचानकर उस पर आवश्यक ध्यान दिया जा सकता है एवं आवश्यक ध्यान देना चाहिए।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा इसके आधारभूत सिद्धान्त का सम्यक् अनुश्रवण करने की दृष्टि से नवीन समावेशित स्कूलों का गठन अथवा परम्परागत स्कूलों का काया-परिवर्तन करने के लिए निम्न व्यावहारिक क्रियाकलापों को अपनाने की आवश्यकता है –

(i) समावेशी शिक्षा में दिव्यांगों के समावेशन को एकल प्रयास घटना के रूप में न देखकर एक सतत प्रक्रिया के रूप में समझना व स्वीकार करना चाहिए।

(ii) स्कूल के क्रियाकलापों में सभी छात्र, अध्यापकों, अभिभावकों व सामुदायिक सदस्यों के प्रतिभाग को बढ़ाना व बनाये रखना चाहिए।

(iii) छात्रों की विविधता को ध्यान में रखकर स्कूलों की संस्कृति, योजनागत नीति, कार्यप्रणाली व क्रियाकलापों की पुनरसंरचना करनी चाहिए।

(iv) समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत समावेशन पृष्ठभूमि में किसी/किन्हीं छात्र की विशिष्ट आवश्यकता/समस्या पर अधिक जोर न देकर अधिगम की बाधाओं को पहचानने व उन्हें दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(v) अध्यापकों व छात्रों को समुचित पाठ्यक्रम व शिक्षण अधिगम प्रविधियों, समुचित सूचना तन्त्र, अधिगमीय वातावरण तथा प्रभावी सहायता सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में दिव्यांग छात्रों को उनकी आयु वर्ग के सामान्य सहपाठियों के साथ कक्षा में पढ़ाया जाता है जहाँ परस्पर सहयोग, मित्रता व क्रियाशीलता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विधि में अध्यापक के द्वारा दिव्यांग व सामान्य बच्चों के बीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धों को पोषित किया जाता है। इस प्रकार से समावेशी शिक्षा में परिवार-स्कूल भागेदारी, सामान्य व विशिष्ट शिक्षकों का सहयोग, वैयक्तिक शिक्षा योजनाएं, समूह नियोजन, प्रभावी संचरण, एकीकृतसेवा, सतत प्रशिक्षण तथा शिक्षक विकास जैसे विभिन्न पक्ष सम्मिलित रहते हैं। समावेशी शिक्षकों के द्वारा कक्षाओं में सामुदायिक भाव विकसित करने के लिए विशेष रूप से संरचित खेल,समस्या समाधान में छात्र प्रतिभाग, वैयक्तिक विभेदों की स्पष्ट चर्चा, गीत व संगीत का प्रशिक्षण छात्रों को परस्पर सहायता की शिक्षा व शारीरिक सहयोग उपकरणों का प्रयोग आदि प्रविधियों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को प्रभावी तथा सफल बनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में सन् 1994 में स्पैन के सलामन्सा में सम्पन्न कान्फ्रेंस में पारित लक्ष्य तथा कार्यान्वयन प्रारूप को आधार बनाया है। इसके अनुसार स्कूलों को बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक या अन्य दशाओं पर ध्यान दिये बिना सभी को प्रविष्ट करना चाहिए। विभेदकारी दृष्टिकोण को समाप्त करने, स्वागत योग्य समुदाय का निर्माण करने, समावेशिक समाज का निर्माण करने तथा सभी को शिक्षा सुलभ कराने के लिए समावेशिक अभिविन्यास वाले नियमित स्कूल सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है। ऐसे स्कूल बहुसंख्यक समाज को प्रभावी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। तथा प्रभावोत्पादकता बढ़ाते हैं एवं अन्ततः सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाते हैं। निःसन्देह वंचित एवं हाशिये पर चले गये समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने तथा उनके इस आकर्षण को बनाये रखने के लिए शिक्षा प्रणाली को लोचनीय ढंग से कार्य करना होगा। इस दृष्टिसे शिक्षा प्रणाली को समावेशिक होना ही पड़ेगा। इसके लिए एक ऐसी समावेशी प्रणाली बनानी होगी जो गैर नामांकित बच्चों की परवाह करें तथा सभी बच्चों की परिस्थितियों, चुनौतियों व मांगों को लोचनीय ढंग से पूरा कर सकें। वस्तुतः समावेशिक शिक्षा, शिक्षा संस्थाओं के शैक्षिक तथा सामाजिक वातावरण के उन्नयन की एक योजना है जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी छात्रों के लिए आनन्ददायक अधिगम माहौल बनाने पर केन्द्रित रहती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के प्रश्न पर भारत में भी अनेक आयोगों, समितियों, गोष्ठियों व मंचों पर विचार-विमर्श हुआ है एवं समेकित शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं।

इसका तात्पर्य दिव्यांग अथवा वंचित समूहों के बच्चों का मुख्य शिक्षा प्रणाली में लाना मात्र नहीं है वरन् अन्य बालकों के समान उनकी उन्नति व विकास हेतु शिक्षा प्रक्रिया में उनके अधिगम व प्रतिभाग को बढ़ाने के कार्य को भी सुनिश्चित करना है।

स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य सभी बच्चों को उनकी विभिन्न स्तरीय योग्यताओं के बावजूद एक ही स्कूल/ कक्षा में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने से है। इसमें सभी बच्चों के साथ आदर का व्यवहार करते हुए उन्हें साथ-साथ सीखने के समान अवसर दिये जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें शिक्षकगण सक्रिय ढंग से कार्य करके सघन प्रयास से लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। निःसन्देह समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में विद्यालय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण नवाचार है। शिक्षा प्रक्रिया में सभी बच्चों के समावेशन के लिए विद्यालय प्रणाली में सुधार हेतु अनेक परिवर्तन लाने होंगे। पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शिक्षण विधियों में परिवर्तन तथा अधिगम विधियों में परिवर्तन के साथ-साथ विकलांग व सामान्य बच्चों की अन्तरक्रियात्मक प्रक्रिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे। समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत स्कूलों, अधिगम केन्द्रों तथा शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार से बदलना होगा कि देखभाल, पोषण व सहायता देने वाले शैक्षिक समुदायों में परिवर्तित होकर सभी छात्रों व अध्यापकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। समावेशी शिक्षा में परम्परागत विद्यालयी संस्कृति में बदलाव लाकर क्रियाशील अधिगम, प्रमाणित मूल्यांकन प्रविधियों, कार्यपरक पाठ्यक्रम, बहुस्तरीय अनुदेशन, तथा शिक्षार्थियों की वैयक्तिक व विशिष्ट आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देने की मूलभूत मान्यता निहित रहती है। इसलिए समावेशी शिक्षा संस्थानों से न तो नियमित शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है तथा न ही विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा है वरन् सभी बच्चों को एक साथ समावेशी ढंग से अधिगम कराना अपेक्षित है। अर्थात् यह शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होती है एवं इसमें सभी बच्चों का प्रतिभाग व अधिगम सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए समावेशी शिक्षा की इस प्रणाली में अधिगम व प्रतिभाग में बाधक तत्वों को भली-भाँति पहचानकर उन्हें पूरी तरह से दूर करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त
(Principles of Inclusive Education)

अतः समावेशी शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पूर्व में अलग-थलग किये समूहों सहित सभी छात्रों को विद्यालय की मुख्य प्रणाली में सम्मिलित करके उन्हें अधिगम व प्रतिभाग करने की परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराती है। समावेशी शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त निम्नवत् प्रस्तुत किये जा सकते हैं –

(i) शिक्षा प्राप्ति के अवसरों की व्यावहारिक समानता के अनुरूप शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करना प्रत्येक छात्र का अन्तर्निहित व जन्मसिद्ध अधिकार है।

(ii) किसी भी छात्र को प्रजाति, धर्म लिंग, भाषा, राजनैतिक विचार, मूलवंश, अपंगता, निर्धनता आदि के कारण शिक्षा से वंचित या विभेदित नहीं किया जा सकता है।

(iii) सभी छात्र परस्पर एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होते है परन्तु सभी छात्र शिक्षा के द्वारा सीखकर लाभान्वित हो सकते हैं तथा समाज में योगदान कर सकते हैं।

(iv) स्कूलों को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालना चाहिए न कि छात्रों को स्कूलों की जरूरतों के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए बाध्य करना चाहिए।

(v) छात्रों के विचारों, समस्याओं व कठिनाइयों को ध्यानपूर्वक सुना व समझा जाना चाहिए एवं तदनुरूप आवश्यक व उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

(vi) छात्रों के बीच विद्यमान अधिकांश विभेद वास्तव में सम्पन्नता व विविधता के संसाधन है न कि कोई आधारभूत समस्या के द्योतक है।

(vii) प्रतिक्रियाओं की व्यापक व लोचनीय परिधि के द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं की विविधता को समझा तथा विकास की गति को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(viii) व्यक्तियों के बीच तरह-तरह के विभेद करने तथा उन्हें बढ़ाने के कार्य में समाज व उसके विभिन्न अंग, अनावश्यक रूप से संलग्न प्रतीत होते हैं।